(5)

संख्या : 111 /XVII-2/2011-11(03)/2007

प्रेषक,

**एम0 एच0 खान,**
सचिव एवं आयुक्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

**निदेशक,**
समाज कल्याण उत्तराखण्ड,
हल्द्वानी नैनीताल।

समाज कल्याण अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांक 25 मार्च, 2011

**विषयः–अल्मोड़ा में राजकीय शिशु/बाल गृह के भवन निमार्ण कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2010–11 में अवशेष धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–505/XVII–2/2008–11(03)/2007 दिनांक 24 मार्च, 2008 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा अल्मोड़ा में राजकीय शिशु/बाल गृह के भवन निर्माण कार्य हेतु रु0 181.77 लाख (रुपये एक करोड़ इक्यासी लाख सतहत्तर हजार मात्र) के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में रु0 59.73 लाख (रुपये उनसठ लाख तिहत्तर हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त की गई थी।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त विषयक निर्माण कार्य हेतु आय–व्ययक में प्राविधानित धनराशि में से **रु0 30.31 लाख (रुपये तीस लाख इकत्तीस हजार मात्र)** एवं संलग्न बी.एम.–15 में उल्लिखित विवरणानुसार अनुदानान्तर्गत उपलब्ध बचतों से पुनर्विनियोग द्वारा **रु0 50.00 लाख (रुपये पचास लाख मात्र)** इस प्रकार कुल धनराशि **रु0 80.31 लाख (रुपये अस्सी लाख इकत्तीस हजार मात्र)** चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 में निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1. उक्त स्वीकृत धनराशि निदेशालय द्वारा आहरित कर सीधे कार्यदायी संस्था ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा प्रखण्ड, अल्मोड़ा को यथाशीघ्र समयान्तर्गत उपलब्ध करायी जायेगी।
2. **उक्त कार्य के सम्बन्ध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–475/XXVII(07)/2008 दिनांक 15.12.2008 के अनुसार निर्धारित प्रपत्र पर कार्यदायी संस्था से एम0ओ0यू0 अवश्य हस्ताक्षरित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा तथा कार्य को निर्धारित समय सारिणी के अनुसार शीघ्र पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।**
3. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।
4. कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्यनजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित कराना सुनिश्चित करें।
5. आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि आंकलित/स्वीकृत की गई है, व्यय उसी मद पर किया जाए। एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाए।

6. निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व सामग्री का किसी प्रयोगशाला से टेस्टिंग करा ली जाय तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाय।

7. जी0पी0डब्लू0 फार्म 9 की शर्तो के अनुसार इकाई को कार्य सम्पादित करना होगा तथा समय से कार्य को पूर्ण न करने पर 10 प्रतिशत की दर से आगणन की कुल लागत का निर्माण इकाई से दण्ड वसूल किया जायेगा।

8.. किसी भी शासकीय व्यय हेतु प्रोक्योरमेन्ट रूल्स, 2008 वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकार प्रतिनिधायन नियम) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–1 (लेखा नियम) आय–व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

9. उक्त कार्य इसी धनराशि से पूर्ण किया जायेगा। विलम्ब के कारण यदि आगणन का पुनरीक्षण किया जाना हो, तो उसे कार्यदायी संस्था अपनी निजी स्रोतों से वहन करेंगे। स्वीकृत राशि से अधिक कदापि व्यय न किया जाय।

10. कार्य की गुणवत्ता पर विशेष बल दिया जाए, कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता का पूर्ण उत्तरादायित्व निर्माण एजेन्सी का होगा।

11. उक्तानुसार स्वीकृत धनराशि का नियमानुसार सुदुपयोग सुनिश्चित कर लिए जाने के उपरान्त निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराए जाने के उपरान्त ही शेष धनराशि अवमुक्त की जाएगी। योजना के अन्तर्गत आवंटित धनराशि की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का मासिक विवरण के साथ बी0एम0–13 पर संकलित मासिक सूचनायें नियमिति रूप से निदेशक, समाज कल्याण के माध्यम से शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

12. अप्रयुक्त धनराशि का बजट मैनुअल के अन्तर्गत समय सारणी के अनुसार समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

13. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 के आय–व्ययक कीं अनुदान संख्या–15 के आयोजनागत पक्ष के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 4235–सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय 02–समाज कल्याण 102– बाल कल्याण 06–किशोर न्याय (बालकों का संरक्षण) अधिनियम, 2000 के अन्तर्गत गृहों का निर्माण के मानक मद 24–बृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा तथा पुनर्विनियोजन संलग्न बी0एम0–15 के कॉलम–1 की बचतों से किया जायेगा।

14. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–1188(P)XXVII(3)2010–11 दिनांक 25 मार्च, 2011 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

**संलग्नकः–यथोक्त।**

भवदीय,

**(एम0 एच0 खान)**
सचिव एवं आयुक्त

**<u>पृष्ठांकन संख्या : 111 /XVII–2/2011–11(03)/2007 तददिनांक</u>**

**<u>प्रतिलिपि</u>:–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–**

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।

2. आयुक्त, कुमायूं मण्डल, नैनीताल।
3. जिलाधिकारी, अल्मोड़ा।
4. मुख्य विकास अधिकारी, अल्मोड़ा।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, हल्द्वानी, नैनीताल।
6. अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा प्रखण्ड, अल्मोड़ा।
7. निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
8. जिला समाज कल्याण अधिकारी, अल्मोड़ा ।
9. बजट, राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय, देहरादून।
10. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3, उत्तराखण्ड शासन।
11. समाज कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ।
12. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(धीरेन्द्र सिंह दताल)
उप सचिव

प्रपत्र – बी0 एम0 –15
(पैरा –158)

नियंत्रक अधिकारी : – सचिव एवं आयुक्त, समाज कल्याण उत्तराखण्ड शासन।
प्रशासनि[illegible]भाग : – समाज कल्याण।

वित्तीय वर्ष 2010–11
अनुदान संख्या [illegible]5 धनराशि रू हजार में।

| बजट प्राविधानित लेखाशीर्षक का विवरण | | मानक मदवार अध्यावधिक व्यय | वित्तीय वर्ष के शेष अवधि में अनुमानित व्यय | अवशेष (सरप्लस धनराशि) | लेखाशीर्षक जिसमें धनराशि हस्तान्तरित की जानी है। | | पुनर्विनियोग के बाद स्तम्भ – 5 की कुल धनराशि। | पुनर्विनियोग के बाद अवशेष धनराशि (कॉलम 1 में अवशेष) | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 |
| अनुदान संख्या –15 आयोजनागत<br>4235–सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय<br>02–समाज कल्याण<br>102–बाल कल्याण<br>04–10 वर्ष से अधिक आयु के किशोरी हेतु राज्यस्तरीय योजना आश्रय गृहों का निर्माण<br>24–बृहत निर्माण कार्य | 2500 | – | – | 2500 | अनुदान संख्या –15 आयोजनागत<br>4235–सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय<br>02–समाज कल्याण<br>102–बाल कल्याण<br>06–किशोर न्याय (बालकों का संरक्षण) अधिनियम 2000 के अन्तर्गत गृहों का निर्माण<br>24–बृहत निर्माण कार्य | 5000 | 15000 | 0 | किशोर न्याय (बालकों का संरक्षण) अधिनियम, 2000 के अन्तर्गत गृहों का निर्माण योजना के अन्तर्गत मानक मद 24–बृहत निर्माण कार्य मद में धनराशि कम पड़ने के कारण इस मद में पुनर्विनियोग आवश्यक है। |
| 09–18 वर्ष से अधिक आयु की बालिकाओं/महिलाओं हेतु राज्य स्तरीय उत्तर रक्षा गृहों का निर्माण<br>24–बृहत निर्माण कार्य | 2500 | – | – | 2500 | | | | 0 | |
| योग | 5000 | – | 0 | 5000 | योग | 5000 | 15000 | 0 | |

प्रमाणित किया जाता है कि पुनर्वियोग से बजट मैनुवल के परिच्छेद –150, 151, 155, 156 में उल्लिखित प्राविधानों का उल्लघन नहीं होता है।

(एम0 एच0 खान)
सचिव एवं आयुक्त।

सेवा में,
महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)
उत्तराखण्ड, माजरा, देहरादून।

उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग–3
संख्या–1188(P)/XXVII(3)/2010–11
देहरादून : 25 मार्च, 2011

पुनर्विनियोग स्वीकृत,
(रमेश चन्द्र अग्रवाल)
अपर सचिव

**संख्या : 111 /XVII–2/2011–11(03)/2007 तद्‌दिनांक।**
**प्रतिलिपि** : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
1. निदेशक, समाज कल्याण, उत्तराखण्ड हल्द्वानी, नैनीताल।
2. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी हल्द्वानी (नैनीताल)/देहरादून।
4. जिला समाज कल्याण अधिकारी देहरादून।

आज्ञा से,
(धीरेन्द्र सिंह दताल)
उप सचिव